राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–112/2005

पूनमचन्द जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
3. श्री गिरिराज मीणा, पर्यवेक्षक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बनी पार्क, जयपुर।
4. श्री उमराव मल मीणा, पर्यवेक्षक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्य कार्यालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.पी. माथुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 04.01.1968 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी उक्त पद पर दिनांक 15.03.1973 को नियमित हुआ। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कनिष्ठ लिपिकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 251 पर था। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर हुई, जिस पद पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.11.1980 को कार्यग्रहण किया और उक्त पद पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.07.1986 से नियमित किया गया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 15.09.1986 को जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 291 पर दर्शाया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति कार्यालय सहायक के पद पर आदेश दिनांक 15.07.1993 के द्वारा हुई, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 1993–94 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 81 पर था। अपीलार्थी ने यह तथ्य भी अंकित किये हैं कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1977 में हुई थी और वे वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1984 में पदोन्नत हुये एवं इसके पश्चात कार्यालय सहायक के पद पर वर्ष 1993–94 में पदोन्नत हुये। इस प्रकार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 से वरिष्ठ था। यह भी तथ्य अंकित किये गये हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कार्यालय आदेश दिनांक 01.12.1993 जारी कर कार्यालय सहायकों से विकल्प मांगा कि वे कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी अथवा पर्यवेक्षक के पद पर अर्थात् पदोन्नति के किस चैनल में पदोन्नति चाहते हैं।

अपीलार्थी ने कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत किया ताकि अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्य स्थान पर नहीं हो। अपीलार्थी का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कर्मचारी संघ के साथ यह इकरार किया था कि कार्यालय सहायकों में कार्य कर रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण नहीं किया जाये। अपीलार्थी जब कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत था तब अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर से पाली किया गया, जो कि लिखित इकरार का उल्लंघन था। अपीलार्थी को पुनः पाली से उसके निवेदन पर स्थानांतरण कर वापस जयपुर पदस्थापित किया गया, परंतु पुनः अपीलार्थी को जयपुर से उदयपुर आदेश दिनांक 10.06.2003 को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वयं के इकरार की पालना नहीं की गई कि कार्यालय सहायकों के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अपीलार्थी ने पुनः अपना विकल्प प्रस्तुत कर अपना विकल्प कार्यालय अधीक्षक के स्थान पर पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत किया। अपने नवीन विकल्प हेतु पत्र दिनांक 19.11.2001 को दिया गया, जो कि प्रत्यर्थी विभाग ने स्वीकार किया। इसके पश्चात अपीलार्थी को पर्यवेक्षक के पद पर डीपीसी वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई और अपीलार्थी का उदयपुर से चितोड़गढ स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी को जयपुर उसके निवेदन पर पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 09.07.2003 को स्थानांतरित किया गया, यहां पर अपीलार्थी कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की प्रोविजनल वरियता सूची दिनांक 16.08.2004 को जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 117 पर दर्शाया गया और अपीलार्थी का चयन वर्ष 2003–04 दर्शाया गया। अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन उक्त प्रोविजनल वरियता सूची के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसके जवाब में प्रत्यर्थी विभाग ने यह अंकित किया है कि विकल्प का प्रार्थना पत्र जो कार्यालय अधीक्षक हेतु प्रस्तुत किया, उसे अपीलार्थी ने पर्यवेक्षक के पद पर परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2001 को प्रस्तुत किया था। यह भी अंकित किया की वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी थी, अतः अपीलार्थी को वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध विचार में रखा गया था, किंतु वर्ष 1999–2000 की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होने के कारण वर्ष 2002–03 में पदोन्नति से वंचित रखा गया तथा वर्ष 2003–04 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई और इसी आधार पर अपीलार्थी की वरियता का निर्धारण किया गया। इसके उपरांत पर्यवेक्षकों की अंतिम वरियता सूची दिनांक 01.04.2004 की स्थिति के अनुसार दिनांक 02.12.2004 को जारी की गई। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया

हैं कि पर्यवेक्षक के पद पर रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया गया, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को वर्ष 1987–88 अथवा 1994–95 में ही पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। अर्थात् अपीलार्थी द्वारा प्रथम विकल्प दिये जाने के पूर्व के वर्षों में अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारियों (निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4) को दिनांक 02.12.2004 को जारी वरियता सूची में स्थान 1 एवं 4 दिया गया और चयन वर्ष 1987–88 प्रदान किया गया, जबकि अपीलार्थी उनसे वरिष्ठ था। अतः अपीलार्थी को चयन वर्ष 1987–88 दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उस वर्ष में अपीलार्थी द्वारा कोई विकल्प भी प्रस्तुत नहीं किया गया था और विकल्प प्रथम बार वर्ष 1993 में ही दिया गया था। अतः 1993 से पूर्व की कोई रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाती है तो अपीलार्थी को उक्त रिव्यू डीपीसी में विचार किये जाने से वंचित नहीं रखा जा सकता। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर वर्ष 1987–88 की रिक्तियों के विरूद्ध सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हेतु विचार में रखा जाये और अपीलार्थी को पदोन्नति व समस्त पश्चातवर्ती लाभ भी प्रदान किये जाये।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 29–1–81 द्वारा पदोन्नति के लिये जोन ऑफ कन्सीडरेशन सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन एवं अधिसूचना संख्या–एफ. 7(2)डीओपी/क–2/81 दिनाक 21–12–1981 द्वारा वर्ष के दौरान रिक्त पदों की वास्तविक संख्या की अवधारणा कलेण्डर वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल को करने सम्बन्धी नियम का सन्शोधन होने के कारण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की पदोन्नति पर उक्त सन्शोधन का प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प4(56) वित्त/राजस्व/94 दिनांक 10–3–98, 18–8–98 एवं समसंख्यक दिनांक 11–3–99 के अनुसरण में, प्रत्यर्थी विभाग में वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक एवं पर्यवेक्षकों की वर्ष 1981–82 से आगे तक, पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति/पुनरावलोकन विभागीय समिति की अनुशंषाओं का वर्ष 1999 में आगे के वर्षों में पुनरावलोकन किया गया, जिसके कारण प्रत्यर्थी क्रम– 3 एवं 4 एवं अन्य एसटी कार्मिकों ने पूर्व के वर्षों से पदोन्नति का लाभ प्राप्त किया है और वे अपीलार्थी एवं सामान्य श्रेणी अभ्यार्थियों से कनिष्ठ होने के बावजूद नियमानुसार वरिष्ठ हो गये। कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचनाओं की क्रियान्विती पूर्व में आयोजित नियमित डी.पी.सी. (वर्ष 81–82 से आगे के वर्षों की) में नहीं किए जाने के कारण ही रिव्यू डीपीसी, कराने की

आवश्यकता पड़ी। जहाँ तक रिव्यू डीपीसी से सम्बन्धित आदेश प्रसारित कर वितरण का प्रश्न है तो यह आदेश विभाग/प्रत्यर्थी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रसारित किए गये थे एवं तद्नुसार ही वरिष्ठता सूचियाँ सन्शोधित कर प्रसारित की गयी थी। जहाँ तक कर्मचारी संगठन द्वारा पत्राचार का प्रश्न है तो समय–समय पर इनका प्रत्युत्तर दिया गया है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूचियों के सन्दर्भ में भी पर्याप्त आक्षेप आमन्त्रण कर समय प्रदान किया जाकर ही स्थायी (अनन्तिम) वरिष्ठता सूचियाँ जारी की गयी है एवं स्थायी वरिष्ठता सूचियों जारी किए जाने से पूर्व प्राप्त प्रतिवेदनों का प्रत्युत्तर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग में वर्ष 1993 से पूर्व पर्यवेक्षक अथवा कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध मे विकल्प आमन्त्रित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई चूँकि वर्ष 1993 में कार्यालय अधीक्षक के केवल दो ही पद स्वीकृत थे एवं डीपीसी के समय वरिष्ठता अनुसार पहले कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी जाती थी एवं शेष अभ्यार्थियों को रिक्त पदानुसार पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती थी। बाद में (वर्ष– 1993) कार्यालय अधीक्षक के और पर स्वीकृत होने पर वित्त विभाग के निर्देशानुसार दोनों पदों के सम्बन्ध में विकल्प मांगने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी। इस प्रक्रिया के तहत वर्ष 1993–94 में अपीलार्थी ने कार्यालय अधीक्षक के पद पर विकल्प दिया, जिसे बाद में वर्ष 2001 में पर्यवेक्षक के विकल्प में परिवर्तित किया गया तथा इसी के आधार पर ही अपीलार्थी के सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। जिन अभ्यार्थियों ने वर्ष 1993 मे पर्यवेक्षकों का विकल्प दिया था, स्वाभाविक रूप से उन्हें वर्ष 1993 से पूर्व की रिव्यू डी.पी.सी, में भी पर्यवेक्षक का विकल्प मानते हुए ही पदोन्नति प्रदान की गयी है। अपीलार्थी वर्ष 2001 तक तो पर्यवेक्षक बनना ही नहीं चाहता था, तो उसका वर्ष 1993 से पूर्व विकल्प पर्यवेक्षक पद का किस प्रकार माना जा सकता है? हालाकि जिन अभ्यार्थियों ने नियमानुसार रिव्यू डी.पी.सी. के तहत लाभ प्राप्त किया है, वे अधिकतर आरक्षित वर्ग के ही हैं। अतः अपील अपीलार्थी पूर्णतया नियमविरूद्ध प्रक्रिया चाहे जाने हेतु प्रस्तुत की गयी होने से, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जहां तक अपीलार्थी की यह मांग है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को वर्ष 1987–88 के चयन वर्ष में पदोन्नति दी गई है, जबकि अपीलार्थी उनसे वरिष्ठ था और अपीलार्थी को भी चयन वर्ष 1987–88 के लिए विचार में रखा जाना चाहिए था, क्योंकि अपीलार्थी ने वर्ष 1987–88 में कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया था, न ही कोई विकल्प मांगा गया। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी को 1987–88 में पदोन्नति नहीं दिये जाने का यह कारण रहा

है कि नियमों में संशोधन होने के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति पर उक्त संशोधन से प्रभाव नहीं पड़ने का परिपत्र कार्मिक विभाग ने जारी किया है, जिस कारण से वर्ष 1987–88 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। हमारे मत चूंकि निजी प्रत्यर्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, जिन्हें संशोधन के आधार पर लाभ से वंचित नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति वर्ष 1987–88 में दी गई, जबकि अपीलार्थी सामान्य श्रेणी का कर्मचारी है। ऐसे में अपीलार्थी वर्ष 1987–88 में पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। जहां तक बाद के वर्ष 1994–95 व उसके बाद के वर्षों के चयन वर्ष में पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति का प्रश्न है तो इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी को वर्ष 1993 में ही पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति नहीं दिये जाने एवं पदोन्नति का चैनल कार्यालय अधीक्षक के पद हेतु दिया हुआ था। ऐसे में अपीलार्थी को वर्ष 1994–95 से वर्ष 2001 तक अर्थात् विकल्प के परिवर्तित होने तक पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति को विचार में नहीं रखा जा सकता था। अपीलार्थी द्वारा अपना विकल्प दिनांक 19.11.2001 को परिवर्तन कराया। उसके बाद ही अपीलार्थी पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार किये जाने का अधिकारी होता है एवं अपीलार्थी को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2001–02 के पश्चात विचार में रखे जाने में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है एवं नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की है।

4. उपरोक्त विवचेना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)